भूमिका

***एक बार जरथुस्त्र एक* बुढ़िया से पूछता है, "बताओ,स्त्री के बारे में सच्चाई क्या है?"वह कहती है, "बहुत सी सच्चाइयाँ ऐसी हैं जिनके बारे में चुप रहना ही बेहतर है। हाँ,अगर तुम औरत के पास जा रहे हो तो अपना कोड़ा साथ ले जाना मत भूलना।".....*नीत्शे:जरथुस्त्र उवाच से*[1]**

घरेलू हिंसा हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है | इस सच्चाई को 2005 से पहले तो हमारे भारतीय समाज ने सच्चाई माना ही नहीं था कि ऐसी भी कोई हिंसा होती है और 2005 में भी ये मानना कि घरेलू हिंसा जैसी भी कोई हिंसा है | ये हमारे पुरुषवादी समाज की मजबूरी बन गयी थी या वे सचमुच इस विषय में सचेत हुए थे ये कहना थोड़ा मुश्किल है। मैं इसे अपनी समझ के स्तर पर उनकी मजबूरी ही कहूँगी क्योंकि महिलाएं अपने आप को पहचानने लगी थीं, अपने लिए आवाज उठाने लगी थीं, वे तर्क करने लगी थीं, वे अपने समाज और परिवार से प्रश्न करने लगी थीं और ये इसी का परिणाम है कि चाहे मजबूर होकर ही सही लेकिन 2005 में ये मान लिया गया कि महिलाओं पर घरेलू हिंसा होती है जिसके लिए 2005 में घरेलू हिंसा को रोकने के लिए घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 बनाया गया | यह अधिनियम अक्तूबर 2006 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में सक्रिय रूप से लागू हो गया | घरेलू हिंसा पर 2005 में कानून बनना ही हमारे पुरुषवादी समाज की सच्चाई को उजागर कर देता है कि वे महिलाओं के विषय में कितना संवेदनशील है। हम आज की बात करे तो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं |वे डाक्टर,नर्स,अध्यापक,पुलिस,शोध,आदि विषय में अपनी एक अलग पहचान बना रही हैं | औरतें पढ़ लिखकर कामकाजी बन रही हैं, आत्मनिर्भर हो रही हैं जोकि एक तरफ बेहद अच्छी बात है लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखने की आवश्यकता है कि वे आत्मनिर्भर होने के लिए कितना संघर्ष कर रही हैं |

हम सभी जानते हैं कि जो महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं या आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हैं वे घरेलू हिंसा को किसी न किसी रूप में झेलती ही हैं और ये हमें दैनिक समाचार पत्रों और शोधों के माध्यम से ज्ञात ही है। लेकिन देखने का विषय ये था कि जो महिलाएँ अच्छी नौकरीपेशा हैं और आर्थिक रूप से सशक्त हैं वे घरेलू हिंसा को झेलती है कि नहीं |

---

[1] यादव,राजेन्द्र.(2007),आदमी की निगाह मे औरत,पृ.13

घरेलू हिंसा- घर की चार दीवारी के भीतर किसी महिला के साथ होने वाली शारीरिक,मानसिक,आर्थिक,भावनात्मक और यौन हिंसा को घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत घरेलू हिंसा में शामिल किया गया है |

कामकाजी महिलाएँ- कामकाजी महिलाएँ उन्हें कहा जाता है जो ऐसे किसी कार्य में लगी हों जिसके बदले उन्हें आय प्राप्त होती है वे महिलाएं कामकाजी कहलाती हैं |कामकाजी महिलाओं को हम उनकी आय के आधार पर कुछ इस तरह बाँट सकते हैं –

डा. जैन व मुरारे की किताब 'कार्यकारी महिलाएं' में कामकाजी महिलाओं का वर्गीकरण किया गया है जिसमें आय के आधार पर कामकाजी महिलाओं को कुछ इस तरह से बांटा गया है।

1.उच्च तथा उच्च मध्यम आय वर्ग की कामकाजी महिला- इस श्रेणी में ऐसी महिलाएँ सम्मिलित हैं प्रबंधन,आभूषण,डिजायनिंग,चिकित्सा,स्वव्यवसायों,लेखन,सम्पादन,शैक्षिक,बौद्धिक गतिविधियों में लगी हुई हैं |

2. मध्यम आय वर्ग की कामकाजी महिला- इस श्रेणी में वे महिला सम्मिलित है जो लघु व कुटीर उद्योगों मे,लिपिकीय पदों पर काम कर रही हैं |

3.निम्न आय वर्ग की कामकाजी महिला- इस श्रेणी में वे महिलाएं सम्मिलित है जो मुख्यत:मजदूर के रूप में काम करती हैं |

उपर बताई 2 श्रेणियों में जो महिलाएं आती हैं उन्हें हम white color job कहते हैं इन श्रेणियों में आने वाली महिलाओं के साथ किस तरह की घरेलू हिंसा होती है यह इस शोध के अंतर्गत जानने का प्रयास किया गया है

एक आम धारणा है कि जो स्त्री पढ़ी लिखी है और आर्थिक रूप से सशक्त हो वे स्त्री अपने ऊपर हिंसा नहीं होने देती है और अपने पति पर वर्चस्व बनाए रखती है और कुछ हद तक मैं भी ऐसा मानती थी कि आत्मनिर्भर महिलाएं अपने ऊपर हिंसा नहीं होने देती और अपने परिवार पर एक वर्चस्व बनाकर रखती हैं | इस धारणा में कितनी सच्चाई है यह तो इस शोध के निष्कर्ष को पढ़कर तय किया जा सकता है | अत: घरेलू हिंसा के विषय पर इस दृष्टिकोण से यह शोध बेहद आवश्यक था ताकि घरेलू हिंसा के विषय में लोग जागरूक हो तथा इस विषय की गंभीरता को समझा जाए और जो भ्रांतिया घरेलू हिंसा को लेकर लोगों के दिमाग में है वे दूर हो सके और अच्छी तरह से इस समस्या को समाज के सामने लाया जा सके ताकि इस पर अलग अलग नजरिए से विमर्श किया जा सके और

कुछ समाधान भी मिल सके | अत: इस शोध कार्य में उन महिलाओं पर शोध किया गया जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र शहर में रहती हैं और अच्छी पढ़ी लिखी एवम कामकाजी हैं इसलिए यह शोध अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है कि कम पढ़ी लिखी महिलाएँ तो घरेलू हिंसा झेलती ही है लेकिन जो आत्मनिर्भर महिलाएं हैं उनके साथ घरेलू हिंसा का क्या स्वरूप है, यह जानने के लिए यह शोध आवश्यक था | इस शोध के माध्यम से हमें उस तबके के विषय में जानकारी मिली जिन्हें हम आत्मनिर्भर व सशक्त मानते हैं ऐसी कामकाजी महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा का स्वरूप क्या है यह हमें इस शोध के माध्यम से ज्ञात हो पाया और हमें इस बारे में भी जानकारी मिली कि किस प्रकार की हिंसा उनके साथ होती है यह सब इस शोध के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ और यह जानकारी उस तबके के उत्थान के लिए काम आएगी जोकि आज भी हमारे समाज में हाशिये पर हैं |

हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था | हरियाणा की राजधानी चंडीगड़ है | इस राज्य में 21 जिले हैं जिनमें फ़रीदाबाद जिला सबसे बड़ा है | हरियाणा को देवभूमि तथा हरिभूमि कहा जाता है इस राज्य में मुख्यतः हरियाणवी,हिन्दी,बागड़ी,बांगर,अंग्रेज़ी,पंजाबी,उर्दू, बोलियां बोली जाती हैं | हरियाणा में लगभग 60% लोग खेती करते है यहाँ की जलवायु बहुत उपजाऊ है| ***कुरुक्षेत्र विश्वविध्यालय के महिला अध्ययन शोध केंद्र द्वारा प्रकाशित किताब 'लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण'*** जोकि 2012 में आई थी में कुछ आंकड़े दिये गए हैं जोकि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा लिए गए है में बताया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या 25,353,081 है इसमें पुरुषो की कुल संख्या 13,494,734 है जबकि महिलाओं की कुल संख्या 11,856,728 थी । राज्य का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के साथ केवल 877 महिलाएं थी | वहीं इस राज्य के कुरुक्षेत्र जिले की बात करें तो इस जिले की कुल जनसंख्या 964655 थी और इस जिले का लिंगानुपात 1000 पुरुषों के साथ केवल 889 महिलाएं थी | राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2005 और 2008 के अनुसार हरियाणा में वर्ष 2005 में महिलाओं के प्रति कुल 4161 अपराध हुए जिनमें 461 बलात्कार, 212 दहेज मृत्यु , 344 अपहरण और अगवा करने के केस है, 380 उत्पीड़न,2075 पति व रिश्तेदारों द्वारा अत्याचार शामिल हैं जबकि वर्ष 2008 में महिलाओं के प्रति कुल 4645 अपराध हुए जिनमें 631 बलात्कार,302 दहेज मृत्यु,644अपहरण व अगवा,435उत्पीड़न,2435 पति व रिशतेदारों द्वारा अत्याचार के अपराध शामिल हैं | यह सब वे मामले हैं जोकि रिपोर्ट किए गए थे।

साहित्य पुनरावलोकन

इस विषय के इर्द गिर्द जो लेख,किताबें,शोध,आदि पाठ्य सामग्री थी मैंने वे शोध के दौरान पढ़े हैं |

बिजनेस स्टैंडर्ड मे छपे श्यामल मजूमदार के लेख "निजी त्याग और मजबूरियों की मारी कामकाजी नारी" में कामकाजी महिलाओं के मुद्दे को उठाते हुए कुछ आंकड़ो के माध्यम से उन पर बात की गयी कि 2014 के शुरुआत में ICICI बैंक के मानव संसाधन अनुसंधान प्रभाग ने बैंक में कनिष्ठ स्तर पद पर काम करने वाली महिलाओं के विषय में कुछ आकड़े प्रस्तुत किए जिसमें इन महिलाओं की पद छोड़ने का औसत कुल संख्या से 2 फीसदी अधिक था इन पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी 25 फीसदी है जबकि महिलाओं की पद छोड़ने की दर 27 फीसदी है। इसका एक कारण तो यह आँका गया कि ये महिलाएं 25 से 30 वर्ष की थी और उम्र के इस पड़ाव पर महिलाएं अपना घर बसाती हैं और एक कारण यह था कि इन महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए घर पर कोई अच्छी व्यवस्था न होने के कारण वे काम पर ही नहीं लौट रही थीं | इस लेख से महिलाओं की जो एक छवि समाज ने बना रखी है कि महिला ही घर देखे, बच्चे देखे, वे सब इस लेख को पढ़कर समझ आता है | "राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 के आंकड़ो के अनुसार 55% भारतीय महिलाएं व लगभग 50% पुरुष पत्नियों के साथ मारपीट को सही मानते हैं। 40% महिलाओं ने अपने विवाहित जीवनकाल में घरेलू हिंसा को सहा है। 34% महिलाओं को थप्पड़ मारा गया है,15%के बाल खींचे गए या बाह मरोड़ी गयी,14%के ऊपर चीजे फेंकी गयी है। 62% ने शादी के दो वर्षो के भीतर शारीरिक व यौनिक हिंसा झेली हैं |,[2] सत्यमेव जयते कार्यकर्म में घरेलू हिंसा पर बात करते हुए कमला भसीन कहती हैं कि हाथ उस पर उठते हैं जिसे कमजोर समझते हैं। पति का मतलब ओनर होता है, तो अगर पति ओनर है तो दूसरा स्वामी कैसे हो सकता है वे दास ही होगा। वे कहती हैं कि कसूर औरत मर्द का नहीं है इसके पीछे पुरुषवादी सोच का दोष है |

"इंटरनशनेल सेंटर फार रिसर्च आन वुमेन" नाम की संस्था का मानना है कि घरेलू हिंसा से जितनी औरतें दुनिया भर में मरती हैं उतनी तो केंसर के कारण भी नहीं मरती।,[3]

2005 में आया मैत्रयी पुष्पा का उपन्यास 'विजन' औरत के उस स्वरूप को उजागर करता है जिसमें वे आत्मनिर्भर होकर भी परिवार और समाज के रिश्तों में उलझी रहती है। उपन्यास की नायिका नेहा एक कुशल डाक्टर होने के बावजूद पति व ससुर द्वारा कदम कदम पर अकुशल और कमतर ही आँकी जाती है। वह हर दिन मानसिक हिंसा का शिकार किसी न किसी रूप में अपने ही

---

[2] जगोरी प्रकाशन हम सबला मार्च –अप्रैल अंक 2009

[3] मनीषा हम सभ्य औरते पेज न.24

परिवार में होती रहती है। रोज रोज की अवहेलनाओं से दुखी होकर अपने पति से कहती है 'तुम एक स्त्री को ब्याहकर इसलिए लाये थे अजय की वह स्त्री बनकर तुम्हें खुश करे और स्त्रीपन का लाभ उठाकर तुम्हारे खतरे दूर करे'।[4] यह हमें हमारे आस पास अक्सर देखने को मिल ही जाता है कि एक औरत कितनी भी कुशल हो उसे पुरुष से कमतर ही समझा जाता है।

वही 2005 में ही ***आयी क्षमा शर्मा की किताब 'औरते और आवाज़े' के एक लेख 'कब रुकेगी घरेलू हिंसा,*** उस समय को दर्शाता है जब घरेलू हिंसा पर कानून तक नहीं बना था और उस समय तक पत्नी को पीटना कुछ मामलो में जायज ठहराया जाता था ये कहकर कि ऐसी पिटाई ठीक है जिसमें चोट न लगे। वही इस किताब के ही दूसरे लेख 'आत्मनिर्भर महिलाओ का दर्द' में स्पष्ट रूप से बताया गया कि हमारा समाज महिला के कामकाजी होने या न होने से कोइ फर्क नहीं करता | कामकाजी होने के बावजूद उससे घर को पूरी तरह संभालने की इच्छा रखता है।"परिवार और घर के बीच झूलती स्त्रियाँ पाती है कि इस आत्मनिर्भरता ने उनकी मुसीबतों को बढ़ा दिया है और उनके कामों के घंटो में बेहताशा वृद्धि हुई है लेकिन घर के काम में कोई कमी नहीं आई है"।[5]हमारे समाज की सच्चाई इन लेखों से समझ आती है कि वे किस कदर पुरुषवादी धारणा से घिरे हुई हैं और एक महिला को उनकी ज्यातियों का शिकार कदम कदम पर होना पड़ता है।

इसी तरह की बातचीत ***ज्ञानेन्द्र रावत की पुस्तक जोकि 2006 में आई उसके एक लेख "कामकाजी महिलाए और चुनौतिया"*** में पढ़ने को मिला कि कामकाजी महिलाए दोहरा बोझ सहती है और इस दोहरे बोझ के कारण वे घर पर और अपने बच्चों पर उस तरह ध्यान नही दे पाती जैसे बच्चों के लिए जरूरी है क्योंकि कामकाजी होने के कारण उसके कार्यों में बढ़ोतरी हो जाती है। वहीं इस लेख को पढ़कर ऐसा भी लगा मानो बच्चों की सारी ज़िम्मेदारी एक महिला की ही हो चाहे वह कामकाजी ही क्यो न हो | ये बात कहीं न कहीं सत्य भी है कि बेशक महिलाएं कामकाजी हो लेकिन उन्हें घर की पूरी ज़िम्मेदारी निभानी पड़ती है और जब न निभा पाये तो घरेलू हिंसा जैसी हिंसा का शिकार होना पड़ता है। लेकिन हमारा पुरुष वर्ग बहुत ही चालक है और चालाकी के साथ महिला के साथ हिंसा करता है और इसी तरह की बातचीत ***मनीषा की पुस्तक 'हमारी औरते' के लेख 'कामकाजी औरतें सहानुभूति या राजनीति'*** में देखने को मिली कि टीचर जैसी 8 से 2 बजे तक

---

[4] मैत्रयी पुष्पा,विजन पेज न॰207,

[5] क्षमा शर्मा,औरते और आवाज़े पेज न॰87

की नौकरी के लिए हमारा पुरुष समाज तैयार रहता है क्योंकि ऐसे नौकरी में महिला सुबह घर का काम कर के जाएगी और समय पर आकर घर फिर से संभाल लेगी दरअसल हमारा पुरुषवादी समाज इस तरह की नौकरी करने देने से अपने को महिला की नजरों मे अच्छा साबित किए रहता है जबकि इस नकली सहानुभूति के पीछे उसके हित पूरे होते रहते हैं |

वहीं घरेलू हिंसा के मुद्दे पर अनमिका की पुस्तक ***"मन मझने की जरूरत''2006 के दोनो लेखों 'चल उड़ जा रे पंछी'व 'मन माझने की जरूरत'*** से समझ आया कि महिलाएं इसलिए भी पति का हिंसक व्यवहार सहती हैं क्योंकि उनका अपना कोई घर नहीं होता | पति के घर से निकाले जाने का डर उन्हे हिंसा सहने पर मजबूर करता है | अतः लेखिका ने सुझाव के तौर पर कहा कि औरत के नाम कम से कम एक कमरा जरूर होना चाहिए ताकि पति बार बार घर से निकल जाओ जैसे शब्द कहना भूल जाए। हमारे समाज में एक लड़की को तो बचपन से यही सिखाया जाता है कि तू पराया धन है और इस रूढ़िवादी मानसिकता से खुद भी महिला घिरी रहती है कि कुछ भी हो जाए पति का घर ही उसका घर है।

इसी प्रकार 2007 में आयी नासिरा शर्मा की किताब 'औरत के लिए औरत' के सभी लेखों में नारी जीवन के बहुत सारे पहलुओं पर प्रकाश डाला जिनमें हमें एक महिला दबी हुई और टूटी हुई नज़र आती है और जिसका कारण हमारा रूढ़िवादी समाज और उसकी मान्यताएं है। बचपन से ही लड़की को कम बोलना, चुप रहना जैसे गुण सिखाये जाते हैं । जिसके चलते वे ऐसी बन जाती है कि सब कुछ सुनकर भी चुप रहने में ही भलाई समझती है | कदम कदम पर उसका शोषण होता रहता है। नासिरा मूक हिंसा को समझते हुए लिखती हैं कि 'शब्दों के घाव बहुत गहरे होते हैं जो मानसिक रूप से सदा चुभते रहते हैं | कभी कभी यह स्थिति इतनी बढ़ जाती है कि महिलाएं अपना संतुलन तक खो बैठती हैं'।[6] शब्दों की हिंसा बहुत बड़ी होती है क्योंकि इसमें कोई मारपीट के निशान नहीं दिखते लेकिन ये हिंसा एक इंसान का पूरा जीवन नरक बना देती है। घरेलू हिंसा और महिला ये हमारे समाज की ऐसी सच्चाई है जिससे मुंह नही मोड़ा जा सकता और जब पुरुष कभी एक औरत को इंसान नहीं मानता है तभी ऐसी हिंसा करता है।

लवलीन भी अपनी पुस्तक 'प्रेम के साथ पीटाई'जो कि 2007 में आयी के लेख प्रेम के साथ पीटाई में घरेलू हिंसा के मुद्दे पर लिखती है कि पत्नी को पीटना पुरुष शायद अपना अधिकार समझता

---

[6] नासिरा शर्मा,औरत के लिए औरत पेज न॰39

है। वे लिखती है कि 'हिंसा का पहला पाठ पुरुष घर में देखता है फिर सीखता है। पुरुष होने मात्र से यह उसे समाज द्वारा दिया गया विशेषाधिकार है कि वह घर में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए पत्नी की पीटाई करे'।[7] यह हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है कि अपनी खोखली सोच को बनाए रखने के लिए वे किसी भी प्रकार की हिंसा अपनी परिवार संस्था में करता है और इसका शिकार होती है हमारी महिलाएं | हमारे समाज में एक मिथक है कि बड़े घरों की औरते के साथ कोई हिंसा नहीं होती लेकिन ***मनीषा अपनी किताब 'हम सभ्य औरते'जो कि 2008 मे*** आई के दो लेखो ***'धन्य है पत्नी की पीटाई करने वाले'व 'महामारी बनती घरेलू हिंसा'*** में ये बात साफ करती है कि महिला चाहे किसी भी घर की हो चाहे वे अमीर घर की हों या साधारण घर की, घरेलू हिंसा हर वर्ग की महिला झेलती है और अपने दूसरे लेख में वे घरेलू हिंसा को एक महामारी एक बीमारी कहती है जो फैलती ही जा रही है। घरेलू हिंसा एक औरत को जीते जी मार देती है और इस तरह लाचार कर देती है कि वह सम्मान से अपना जीवन जीना ही भूल जाती है।

घरेलू हिंसा को समझने के लिए 2008 में आई ***मैत्रयी पुष्पा की किताब 'फायटर की डायरी' भी*** महत्वपूर्ण है इस किताब में बहुत सारी लड़कियों के संघर्ष की कहानियाँ हैं | जिन्हें पढ़कर हमारे पुरुषवादी समाज,परिवार के घिनौने चेहरे हमारे सामने आते हैं तथा उन लड़कियों का संघर्ष देखने को मिलता है जो समाज,परिवार के बनाए खाँचो से विमुख होकर अपनी एक जगह तलाशने पुलिस की नौकरी में आती हैं | इस किताब को पढ़कर समझ आता है कि एक औरत के लिए हमारे समाज में कोई जगह नहीं है। अंशु को अपने ही घर में अपने ही परिवार से हर तरह की हिंसा और यंत्रणा मिली लेकिन वे हारी नहीं | ऐसे ही रजनी,रोजी ,सतविंदर,रीना, सभी लड़कियों की अपनी अपनी कहानी है जिन्होंने हर कदम हिंसा और शोषण सहा है लेकिन हार नहीं मानी लेकिन सभी औरतें जरूरी नहीं इन सब लड़कियों जितना हौसला जुटा पाती हो| कुछ तो बेचारी घरेलू हिंसा सहते-सहते इतनी कमजोर हो जाती है कि अपनी ज़िंदगी ही खत्म कर देती है,लेकिन घरेलू हिंसा नहीं रुकती।

घेरलू हिंसा के बारे में कुछ कडवे अनुभव बांटती हुई ***फ्लेविया एगनिस अपनी आत्मकथा "परवाज़"*** जोकि 2008 में आई थी में लिखती है कि शादी का मतलब मार खाना बात-बात पर पीटना होता है ये तो उनको किसी ने बताया भी नहीं था| वहीं इस किताब में जहाँ घरेलू हिंसा का मुद्दा उठाया गया वहीं ये बात भी ध्यान देने वाली थी कि 1981 तक एक पढ़ा लिखा तबका ये मानने को

---

[7] लवलीन,प्रेम के साथ पीटाई पेज न॰47

तैयार नहीं था कि घरेलू हिंसा जैसे कोई चीज़ होती है।वे हर दिन अपने पति से किसी न किसी रूप में घरेलू हिंसा का शिकार होती रहती।'निशानों को ढको साड़ी पहनो और अपनी बाहों की खरोचो को ढको'[8]

ये सभी बातें एक औरत के आम जीवन का हिस्सा है। बाहर से देखने वाले आराम से कह सकते हैं कि क्या कमी है अच्छा घर-बार है, मौज है लेकिन घर के अंदर क्या चल रहा होता है यह उस महिला से अधिक कोई नहीं जान सकता जो उस घर में रहती है और मानसिक हिंसा को झेलती है। इसी संदर्भ में ***सुधा अरोड़ा का नारी विमर्श 'जिस हिंसा के निशान दिखाई नहीं देते'*** महत्वपूर्ण है।वे अपने इस विमर्श में घरेलू हिंसा के एक स्वरूप मानसिक हिंसा के मुद्दे को उठाती हैं और लिखती है कि यह एक धीमी मौत है जो एक औरत को धीरे धीरे मार देती है | वे इसे 'violence of silence'भी कहती हैं कि क्योंकि आए दिन ऐसे संवादो और व्यवहारों को उसे झेलना पड़ता है जिससे वे आहत होती रहती है और एक समय पर ये मानने भी लग जाती है कि शायद उसी के अंदर कोई कमी है। ***वही सुधा अरोड़ा अपनी एक कहानी 'रहोगी तुम वही'*** में एक पुरुष के उस चरित्र को दिखाती हैं जिसमें वह कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता | एक स्त्री चाहे उसके अनुरूप काम करने लगे या नहीं उसकी अपेक्षाएं लगातार एक स्त्री से ही बनी रहती है, वे अपने में परिवर्तन नहीं चाहता| घरेलू हिंसा हमारे समाज के लिए एक समस्या है जिसके लिए 2005 में कानून भी बना मगर वे कानून तब तक विफल हैं जब तक उसके बारे में महिलाओं में जागरूकता नहीं आएगी | ऐसा ही कुछ ***2009-2011 मे हुए एक शोध 'घरेलू हिंसा का समीक्षात्मक अध्ययन'*** में पाया गया कि ज़्यादातर लोगों को इस कानून के विषय मे न के बराबर जानकारी थी और जिन लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी थी उन्हें पूर्ण प्रक्रिया का ज्ञान नहीं था।

घरेलू हिंसा हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है जिससे हम अपना मुंह नहीं मोड सकते ये ऊपर लिखी बातों के माध्यम से ज्ञात हुआ लेकिन इस क्षेत्र में शोध कर इस समस्या को और अच्छी तरह से समाज के सामने लाया जा सकता है और इस पर अलग अलग नजरिए से विमर्श किया जा सकता है ताकि कुछ समाधान भी मिल सके***। 2010 में आयी रमा शर्मा और एम.के.मिश्रा की किताब 'महिला विकास' के पेज न.270,271 पर किरण अग्रवाल की कहानी बताई गयी है*** जिसमें वे अपनी शादीशुदा जिंदगी और अपने पर बीती घरेलू हिंसा को बताती हैं कि शादी कैसे एक लड़की के लिए नरक बन जाती है। वे अपनी कहानी में बताती हैं कि

---

[8] लवलीन,प्रेम के साथ पीटाई पेज न॰47

कैसे उसका पति उसके साथ जबरन शारीरिक सबंध बनाता है, उसका मन न होने और मना करने पर भी उसकी एक नहीं चलती ,वे कहती हैं ***'आज मैं सोचती हूँ विवाह के वक्त जो प्रेम मेरे लिए दायित्व था वह आज गलती है'। कहानी में किरण यौनिक हिंसा को रेखांकित करते हुए कहती है 'वे मुझमें देह और देह में सिर्फ योनि ढूढ्ते रहे। वह मेरे पास ऐसे ही आते रहे जैसे कोई मर्द वेश्या के पास'***।

वहीं ***2011 में परिसंवाद ब्लाग पर मोनिका शर्मा जी का एक लेख 'देहरी के भीतर का दर्द, घरेलू हिंसा,एक वैश्विक समस्या'*** छपा| वे अपने इस लेख में घरेलू हिंसा के मुद्दे को उठाती हुई लिखती हैं कि हमारी महिलाएं आगे बढ़ रही है,उपलब्धियां हासिल कर रही हैं वहीं वे अपने ही परिवार और अपने साथी के हाथों शोषण का शिकार भी हो रही हैं ,वे कहती हैं कि जब एक महिला अपने ही साथी के साथ सुरक्षित नहीं तो घर के बाहर उनकी सुरक्षा और सम्मान को बनाए रखने का क्या मतलब है। हमारा समाज बहुत ही चतुराई के साथ महिला के साथ हर स्तर पर खिलवाड़ करता है| कानून बना देने से ही तो सिर्फ महिलाओं का भला नहीं हो सकता जब तक की उसको चलाने वाले पुरुषवादी सोच को न त्याग दे।

वहीं 23 अगस्त 2013 को जनसत्ता में विकास नारायण जी का लेख 'हिंसा का मूल'छपा जिसमें वे कहते है कि हिंसा की जड़े या हिंसा के मुख्य कारकों में लैंगिक असमानता एक मुख्य कारक है।वे इस लेख में घरेलू हिंसा के विषय में कहते है कि अगर पति पत्नी के संबंध पुलिस थानों तक पहुँच जाते है तो क्या उनमें प्रेम दोबारा पनप सकता हैं | सवाल लाज़मी है मगर संबंधो को बनाए रखने के लिए एक औरत क्या हिंसा सहती रहे क्या सिर्फ वही समझौता करती रहे। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए फिर तो कानून की शायद जरूरत ही न होती| एक महिला को अपने विरुद्ध होने वाले शोषण के खिलाफ आवाज मुखर करनी चाहिए मगर अफसोस आज की पढ़ी लिखी महिलाएं भी इस हिंसा के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाती।

इन तमाम लेखों और किताबों में महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा का ज़िक्र किया गया है साथ ही साथ कुछ लेखों में घरेलू हिंसा के स्वरूपों पर भी बात की गयी है यद्पि महिलाएं किस तरह घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं इन सब लेखों को पढ़कर समझ तो बनी तथापि कुछ जगह महिलाओं के अनुभव व्यापक रूप में नहीं आ पाये हैं और चूकि इन सभी लेखों और कार्यो में किसी क्षेत्र और जगह का विशेष रूप से अध्ययन नहीं किया गया है मगर ये मुद्दे अत्यंत ही संवेदनशील हैं और अभी तक इन मुद्दों को बहुत व्यापक शोधपरक दृष्टि से नहीं देखा गया लेकिन जब नारी की पारिवारिक एवं सामाजिक अध्ययन के दौरान मेरी दृष्टि इस विषय पर गयी

तब मैंने सोचा कि यह एक संवेदनशील और अत्यंत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर मुझे शोध करना चाहिए और महिलाओं के साथ जुड़ी घरेलू हिंसा के भयावह स्वरूप को अपने शोध के माध्यम से सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए |

हरियाणा को देवभूमि कहा जाता है अर्थात देवताओं की भूमि | मगर इस देवताओं की भूमि में आज भी शायद सबसे अधिक कन्याभ्रूण हत्या, इज्जत के नाम पर हत्या, दहेज के लिए हत्या सबसे अधिक होती है | देवभूमि में महिलाओं को देवी समझना तो दूर की बात उन्हें तो इंसान भी नहीं समझा जाता और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है जो कि अत्यंत ही असहनीय होता है |महिलाओं को जन्म से पहले, जन्म के बाद और जब तक वे जिंदा रहती हैं तब तक किसी न किसी रूप में किसी न किसी तरह की हिंसा का सामना करना ही पड़ता है |हरियाणा में शोध कार्य के दौरान महिलाओं की स्थिति को अच्छे से जानने समझने का थोड़ा सा प्रयास किया गया है।आज भी महिलाएं जोकि पढ़ी लिखी हैं और जो साथ ही साथ किसी घर की बहूँ हैं उनमें से कई तो आज भी एक लंबे घूँघट के तले अपना सिर ढककर नौकरी करने जाती है, उन्हें इतनी छूट तो मिली की वे नौकरी कर ले मगर घूँघट की शर्त उनके साथ रही।

अत: मेरे द्वारा इस शोध कार्य में उन महिलाओं पर शोध किया गया जोकि हरियाणा के कुरुक्षेत्र शहर में रहती है और कामकाजी व आत्मनिर्भर है।

शोध प्रश्न-

1. कामकाजी महिलाओं के साथ किस प्रकार की हिंसा होती है और कामकाजी महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा का स्वरूप क्या है?

2.कामकाजी महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्त होना क्या घरेलू हिंसा के स्वरूप को बदल देता है?

3.घरेलू हिंसा कानून के विषय में कामकाजी महिलाओं के जागरूकता का स्तर क्या है ?

शोध उद्देश्य-

1.कामकाजी महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा के स्तर एवं स्वरूप को अध्ययन करना।

2. आर्थिक रूप से सशक्त होने पर घरेलू हिंसा के स्वरूप के बदलाव का अध्ययन करना।

3.घरेलू हिंसा कानून के बारे में कामकाजी महिलाओं की जागरूकता का अध्ययन करना।

शोध क्षेत्र-

कुरुक्षेत्र शहर को शोध कार्य हेतु इसलिए चुना गया क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर कामकाजी महिलाएं के मिलने की संभावना थी जोकि व्हाइट कोलर जॉब में हैं और इस शहर का चुनाव करने का एक कारण यह भी था कि मैं इस इलाके से थोड़ी बहुत परिचित हूँ और मैंने 2 साल यहाँ रहकर अपनी पढ़ाई की हैं| पढ़ाई के दौरान मैंने यहाँ महिलाओं की स्थिति का अवलोकन किया कि यहाँ पर कम पढ़ी लिखी महिलाओं की क्या दशा है ,जोकि बहुत अच्छी नहीं थी| इस चीज़ को मोटे रूप में समझने के लिए हम इस शहर के लिंगानुपात को देख सकते है जोकि 1000 पुरुषों के साथ केवल 888 महिलाए हैं। मैं इस शहर की कम पढ़ी लिखी अशिक्षित महिलाओं की दशा तो जानती थी मगर पढ़ी लिखी महिलाओं के विषय में जानने की मेरी इच्छा थी इसलिए मैंने इस शहर को अपने शोध कार्य के लिए चुना।

http://www.mapsofindia.com/maps/haryana/kurukshetra-city.html

नक्शे में जहां जहां लाल रंग की लाइन खींची गयी हैं वह शोध क्षेत्र को दर्शाने के लिए इस्तेमाल की गयी हैं |

शोध प्रविधि-

शोध को करने के लिए एक ऐसी सरंचना की जरूरत होती है जोकि शोध करने के दौरान शोधार्थी को मार्गदर्शन प्रदान करती रहे | शोध प्रविधि एक शोध कार्य करने हेतु शोध का महत्वपूर्ण अंग मानी जाती है| यह शोध कार्य हरियाणा जैसे क्षेत्र में महिलाओं के ऊपर किया गया है जहाँ पर कन्या भ्रूण हत्या ,ऑनर किलिंग, दहेज हत्या शायद सबसे अधिक है जहाँ पर महिलाओं की दशा बहुत ही बुरी

है |बहुत से लोगों ने इस विषय पर अलग अलग नजीरिए से काम भी किया है जिनमें कामकाजी महिलाओं और घरेलू हिंसा पर भी काम हुआ है मगर वे काम व्यापक रूप में नहीं थे और जिसमें घरेलू हिंसा से संबधित महिलाओं के अनुभवों को और ज्यादा व्यापक रूप मे नहीं दिखाया गया है इसलिए इस विषय पर शोध करने का एक विचार बना | अगर हम हरियाणा में कामकाजी महिलाओं की बात करे तों महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है मगर जब भी हरियाणा की बात होती है तो खापों और राजनीति के संदर्भ में होती है जबकि हरियाणा जैसा क्षेत्र लैंगिक मुद्दों के दृष्टिकोण से बेहद खराब है इस वजह से मैंने कुरुक्षेत्र को अपने शोध कार्य के लिए चुना | कामकाजी महिलाओं के अनुभवों को और अच्छे तरीके से जानने के लिए यह शोध किया गया इसलिए इस विषय का और इस क्षेत्र का चुनाव मैंने किया गया | अत: इस शोध कार्य को करने के लिए उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के आधार पर कुरुक्षेत्र शहर की 15 कामकाजी महिलाओं को लिया गया जोकि संगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं जिन्हें हम व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं | यह शोध कार्य केवल उन्हीं महिलाओ के साथ किया गया जोकि पेशे से डाक्टर,वकील,अध्यापक,लेक्चरर तथा पुलिस विभाग में कार्यरत हैं और इस शोध कार्य में सिर्फ 15 महिलाओं को ही इसलिये लिया गया क्योंकि ज्यादा महिलाओं के साथ इतने संवेदनशील मुद्दे पर इतने कम समय में अच्छी तरह से काम नहीं हो सकता था इसलिए केवल 15 महिलाओं का ही चुनाव उदेश्यपूर्ण निर्देशन के आधार पर किया गया |कामकाजी महिलाओं की एक बड़ी तादाद कुरुक्षेत्र शहर के शांति नगर में देखने को मिलती है | शांति नगर में इन महिलाओं के घर है| वहाँ के रहने वाले एक मुख्य सूचनादाता के सहयोग से इन महिलाओं के बारे में पता चला जिससे शोध कार्य में थोड़ी आसानी हो गयी| उसके बाद कई-कई बार इन महिलाओं से उनके घरो में व उनके कार्यस्थल पर जाकर संपर्क किया गया | इस कार्य में साक्षात्कार विधि का प्रयोग कर महिलाओं से उनके साक्षात्कार लिए गए और साक्षात्कार विधि का चुनाव भी इसलिए किया गया क्योंकि जब हम किसी से आमने सामने बात करते हैं तो हमें सामने वाले व्यक्ति की वे बातें भी कुछ हद तक समझ आ पाती है जोकि वह कह नहीं पाता | हम इंसान के हाव भाव व्यवहार से भी बहुत कुछ समझ सकते हैं और चूंकि घरेलू हिंसा एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है तो कोई भी व्यक्ति एक दम से इस बारे मे नहीं बताता इसलिए मुझे इस कार्य के लिए साक्षात्कार विधि बहुत ही महत्वपूर्ण विधि लगी और मैंने अपने कार्य के लिए इस विधि का प्रयोग किया | यह शोध मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों ही पक्षो को ध्यान में रखते हुए किया गया है | गुणात्मक शोध में कामकाजी महिलाओं के साक्षात्कार लिए गए और मात्रात्मक शोध में महिलाओं के साथ हुए अपराधों के आकडे मैंने लिए हैं जोकि 'राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो' द्वारा दिये आंकड़े हैं | कार्य के दौरान मधुबन पुलिस अकेडमी

करनाल, कुरुक्षेत्र विश्वविध्यालय के महिला अध्ययन व शोध केंद्र, (CWDS), पुस्तकालयों में जाकर अध्ययन सामग्री जमा की गयी।

डाटा के प्राथमिक स्त्रोत के रूप में महिलाओं के साथ साक्षत्कार लिए गए जबकि द्वितीयक स्त्रोत के रूप में लेख,फिल्म,उपन्यास,कहानी आदि को लिया गया तथा इंटरनेट का प्रयोग किया गया।

शोध समय

एक वर्ष के दौरान 6 माह सनोप्सिस बनाने और साहित्य का अध्ययन करने में लगाया गया बाकी के 6 माह के दौरान 3 महीने क्षेत्र कार्य किया गया और अंतिम 3 माह में लेखन कार्य किया गया।

क्षेत्रकार्य अनुभव

शोध कार्य के समय जब महिलाओं से बात हुई तो उन्होने पहले तो बड़े अच्छे से बात की मगर जैसे ही उनको मालूम होता कि मैं उनका साक्षात्कार लेने आई हूँ तो उन लोगों ने बहुत आना कानी की | वे मुझे किसी और का नाम पता बता देती कि आप उनसे बात कर लो, वे भी नौकरीपेशा हैं और खुद बात करने से बचती रही | जो कुछ महिलाएं बात करने को तैयार होती वे बहुत कम समय देती थी और कई कई बार उनसे मिलना पड़ता था कभी उनके घर पर जाकर बात करनी होती थी और कभी उनके कार्यस्थल पर जाकर उनसे बात हो पाती थी | कुछ महिलाएं मुझे अपने कार्यस्थल पर बुला लेती मगर फिर मिलती नहीं थी और कभी घर बुलाकर बोल देती कि आज नहीं आप कल मिलिये |मुझे इस काम में बहुत समय लगा और बड़ी मुश्किल से महिलाएं अपने बारे में बात करने के लिए तैयार हो पायी और बात करते हुए भी वे बीच बीच में मुझसे पूछती रहती कि आप मेरा कहीं नाम तो नहीं दे देंगी और मुझे उन्हें समझाने में बहुत मुश्किल हुई कि कैसे उनसे बात की जाए और कभी उनकी ऐसी प्रतिक्रियाँ से मुझे बहुत गुस्सा भी आता था कि मेरा समय बर्बाद हो जाता है और कोई काम भी नहीं होता लेकिन बाद में मैंने उनके ऐसा करने के बारे में सोचा तो मुझे एहसास हुआ कि वे इस बारे में इसलिए खुलकर बात नहीं करती क्योंकि उनके मन में एक भय है कि कहीं उनके घर का या उनका नाम तो कही नहीं छप जाएगा | वे अपने बारे में इसलिए भी नहीं बताना चाह रही थी कि घरेलू हिंसा घर के अंदर की बात है अगर इस बारे किसी को पता चल गया तो समाज में उनकी बदनामी हो जाएगी और घर में उनका चैन से सांस लेना मुश्किल हो जाएगा या उनका घर टूट जाएगा |ये सारे डर कहीं न कहीं उन महिलाओं के साथ काम कर रहे तभी शायद वे बात करने से बचती रही थी। कुछ और अनुभव भी है जिनको याद कर इस समय हंसी आ रही है मगर क्षेत्र कार्य के दौरान बहुत गुस्सा आया था मैं महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को लेकर कुरुक्षेत्र के एस.पी.से बातचीत

करना चाहती थी इसलिये मैं एस.पी.आफिस गयी थी। एस.पी.आफिस के बाहर बैठे सिपाही ने मुझसे कहा कि साहब अभी तक आफिस आए ही नहीं है। मैं और मेरी दोस्त इंतज़ार करके वापिस जाने लगे तो हमे बिल्डिंग के नीचे एस.पी की गाड़ी खड़ी दिखाई दी और हम समझ गए कि हमसे झूठ बोला गया है कि साहब नहीं आए हैं जबकि वे अंदर ही थे। खैर अगले दिन उसने भेंट तो हुई मगर एस. पी सर अपने कार्य की व्यवस्ता के कारण हमसे बात नहीं कर पाये। उस दिन भी हमें ऐसे ही लौटना पड़ा।

शोध सीमाएं

समय की कमी के कारण इस शोध कार्य में केवल कुरुक्षेत्र शहर की 15 कामकाजी महिलाओं के साथ यह शोध किया गया जोकि संगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं जिन्हें हम व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं |यह शोध कार्य केवल उन्हीं महिलाओ के साथ किया गया जोकि पेशे से डाक्टर,वकील,अध्यापक,लेक्चरर तथा पुलिस विभाग में कार्यरत हैं और इनकी संख्या सिर्फ 15 ली गयी है।

अध्याय विभाजन

इस पूरे शोध को आसानी से समझने और समझाने के लिए बहुत ही साधारण सी भाषा के अंतर्गत पाँच अध्यायों में विभाजित किया गया है जोकि कुछ इस प्रकार है:-

पहला अध्याय

1.कामकाजी महिलाएं और हिंसा

इस अध्याय के अंतर्गत कामकाजी महिलाओं के साथ हमारे समाज में होने वाली तमाम हिंसाओं पर रोशनी डाली गयी है | कामकाजी महिलाओं के साथ कितने प्रकार की हिंसा हमारे समाज में होती है उसकी मोटी मोटी झलक इस अध्याय में देखने को मिलेगी।

दूसरा अध्याय

2. घरेलू हिंसा के संदर्भ में कामकाजी महिलाओं के अनुभव

इस अध्याय में कामकाजी महिलाओं के साथ हुए साक्षात्कार पढ़ने को मिलेंगे जोकि शोध कार्य के दौरान व्यक्तिगत रूप से लिए गए हैं जिनके माध्यम से हम कामकाजी महिलाओं की वे कहानियां जान पाएंगे जो शायद कभी खुलकर समाज के सामने नहीं आ पातीं और आती भी हैं तो हमारा समाज उसे स्वीकार ही नहीं करता।

तीसरा अध्याय

3.कामकाजी महिलाओं का संघर्ष और घरेलू हिंसा

इस अध्याय के अंतर्गत कामकाजी महिलाओं के संघर्ष को दिखने की कोशिश की गई है जोकि महिलाएं अपने दैनिक जीवन मे करती है साक्षात्कार के माध्यम से जो बातें पता चली और उनमे जो मुद्दे निकल कर आए वो सब इस अध्याय मे भलीभाँति लिखने की कोशिश की गयी है.इस अध्याय मे मुख्यत:घरेलू हिंसा के उन स्वरूपों को उजागर करने का भी प्रयास किया गया है जिन्हे कामकाजी महिलाएं झेलती है।

चौथा अध्याय

4.कामकाजी महिलाएं और घरेलू हिंसा कानून का जागरूकता स्तर

इस अध्याय के अंतर्गत घरेलू हिंसा कानून के जागरूकता स्तर के विषय में बात की गयी है कि कामकाजी महिलाओं को इस कानून की कितनी जानकारी है और कितनी नहीं तथा महिलाएं इस कानून के प्रति अपना क्या नजरिया रखती हैं इस विषय पर चर्चा इस अध्याय में की गयी है।

पांचवा अध्याय

5.निष्कर्ष

इस अध्याय में शोध से पूरा जो एक निचोड़ निकल कर आया वह इस अध्याय में लिखा गया है जिससे इस पूरे शोध कार्य को संक्षिप्त रूप में पढ़ा जा सकता है और इस शोध कार्य से जो कुछ लाभ हानि और जो उत्तर मिले हैं वे सब इस अध्याय में देखने को मिलेगा।

शोध का महत्व

यह शोध कामकाजी महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा के स्वरूप को समझने तथा घरेलू हिंसा के संदर्भ मे कामकजी महिलाओं के संघर्ष को समझने की दिशा में महत्वपूर्ण है।